न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/695

1. अमीचन्द पुत्र श्री सोणाराम
2. हरनाथ पुत्र श्री गोविन्दा
3. बीरबल पुत्र श्री सुल्तान
4. ख्याली पुत्र श्री मंगला
5. राजेश पुत्र श्री ग्यारसा
6. सुरेश पुत्र श्री ग्यारसा
7. फत्ता पुत्र श्री रूडाराम
8. राकेश पुत्र श्री चिरंजीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम झगडेत कलां, तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज.।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नारायणपुर तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज0।

–रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर निर्णय दिनांक 07.01.2022

उपस्थित :–

1. श्री सांवतराम गुर्जर, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 07.01.2022 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर द्वारा दिनांक 11.12.2021 को प्रस्ताव बाबत चालू स्थाई रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ राजस्व ग्राम पंचायत शिवर नीमूचाना के वाके मौजा झगडेत कला के आराजी खसरा नम्बर 328, 327, 326, 403, 404, 390, 388, 387, 377, 376, 324, 322, 318, 311, 310, 309, 308, 307, 300, 301, 306, 312, 316, 378, 414, 430 में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर ने तहसीलदार नारायणपुर अलवर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.12.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2022 पारित किये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स अमीचन्द पुत्र श्री सोणाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर दिनांक 07.01.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम झगडेत कलां पटवार हल्का नीमूचाणा भू अभि.नि.क्षेत्र नीमूचाणा तहसील

नारायणपुर जिला अलवर में अपीलार्थी सं 1 की कृषि भूमि खाता संख्या नया 113 पुराना 97 खसरा नम्बर 378 रकबा 0.7900 हैक्टेयर जिसमें अपीलार्थी सं 1 का हिस्सा 4205/234612 खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 308 रकबा 0.3800 हैक्टेयर मे हिस्सा 1/160, खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 316 रकबा 0.9500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 318 रकबा 6.5700 हैक्टेयर में हिस्सा 1/256 है। अपीलार्थी सं 2 की कृषि भूमि खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 308 रकबा 0.3800 हैक्टेयर में हिस्सा 1/120 है। अपीलार्थी संख्या–3 की कृषि भमि खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 316 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 6.5700 हैक्टेयर, जिसमें बीरबल का हिस्सा 5/384 है, खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 318 रकबा 6.5700 हैक्टेयर जिसमें अपीलार्थी स. 3 का हिस्सा 5/384 है, अपीलार्थी सं. 4 व 5 खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 301 रकबा 0.6800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 307 रकबा 0.8600 हैक्टेयर में अपीलार्थी स 4 व 5 का हिस्सा 1/6, अपीलार्थी सं 6 का 1/3 हिस्सा, अपीलार्थी सं 7 के खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 390 रकबा 1.3200 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 व अपीलार्थी सं.8 राकेश का हिस्सा 19/240 निहित है। तथा अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर बतौर स्वामी, मालिक, काबिज, खातेदार की हैसियत से आसपास के रिहायशी खातेदार काश्तकार की जानकारी में खुले रूप से निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बाधा व रूकावट के खुले रूप से तथा बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहा है। (बजनंस मगबसनेपअम वचमद नदपदजमततनचजमक दवजवतपवने दक वेजपसम) लेकिन रेस्पोडेंट ने रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु चलाये गये अभियान के अनुरूप फौरी कागजी कार्यवाही करते हुये माननीय विद्वान विचारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमि में प्रचलित रास्ता होना उल्लेखित करते हुये उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव पेश किया, जिस पर माननीय विद्वान विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण पीडित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित जाकर अपीलार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी की भूमि के संबंध में दिनांक 07.01.2022 को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध उक्त आदेश दिनांक 07.01.2022 को अपीलार्थीगण की भूमि एवं अन्य सहखातेदार की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि वाके ग्राम झगडेत कलॉ पटवार हल्का नीमूचाणा भू अभि.नि.क्षेत्र नीमूचाणा तहसील नारायणपुर जिला अलवर में अपीलार्थीगण उक्त कृषि भूमि स्थित थी, जिससे उक्त निर्णय व आदेश के द्वारा अपीलार्थी स1 की भूमि में खसरा नम्बर 378 की भूमि में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 की भूमि में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 की भूमि में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 की भूमि में से 0.010 हैक्टेयर, अपीलार्थी सं 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 308 की भूमि में से 0.04 हैक्टेयर,अपीलार्थी सं 3 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 316 की भूमि में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 व 318 में से 0.03 हैक्टेयेर, अपीलार्थी सं 4 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 301 में 0.03 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 307 में 0.04 हैक्टेयर अपीलार्थी स.7 व 8 की भूमि खसरा नम्बर 390 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ते में अंकन करने बाबत आदेश पारित कर दिया। जबकि पूर्व के नक्शे में कही भी किसी प्रकार का कोई प्रचलित रास्ता नहीं है। जो कि कतई बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई को अवसर दिये बिना ही अंकित की गई है। ग्राम पंचायत नीमुचाणा के सरपंच एवं तहसीलदार नारायणपुर ने आपस में मिलीभगत कर प्रार्थीगण की भूमि में से कभी भी कोई प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई क अवसर दिये बिना राजनैतिक द्वेवश्तावश ग्राम पंचायत नीमूचाणा के सरपंच ने अपने हितार्थ व्यक्तियों को नाजायज रूप से लाभ पहुंचाने की नियत से ग्राम पंचायत ने बिना ग्राम प्रचायत के प्रस्ताव के बिना ही एनओसी जारी की गयी है। जबकि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुये भी अपीलार्थीगण को नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने की बदनियति से उनकी खातेदारी भूमि में से गैर कानूनी तरीके से रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने में भारी कानूनी भूल की है जिसका कि रेस्पोडेंट को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति का अवलोकन किये बिना ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक

एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो की अनदेखी करते हुये उक्त आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

अपील मीमो में वर्णितानुसार अपीलार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी की भूमि जिसमें अपीलार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा रेस्पोडेंट के द्वारा जो प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके अनुरूप अपीलार्थीगण की भूमि में से कभी भी कोई भी रास्ता संचालित नहीं रहा है, ना ही कभी भी प्रचलित रास्ता ही विद्यमान है, जबकि पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जिस रिर्पोट को आधार मानते हुये रेस्पोडेंट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह मौके की सही व वास्तविक स्थिति के विपरित जाकर मौके की स्थिति का जायजा लिये बिना ही किया गया है, जिसका कानून में कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण पीडित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही कानूनी प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है। किसी भी सहखातेदार काश्तकार के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अथवा रेस्पोडेंट के समक्ष रास्ते बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही उक्त वर्णित भूमि में से कोई प्रचलित रास्ता ही है ना ही किसी सहखातेदार को उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित भूमि में से रास्ते हेतु कोई आवश्यकता ही है मात्र ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये तथा अपीलार्थीगण से द्वेवशता रखते हुये उक्त मनमाने तरीके से एनओसी पारित कर रेस्पोडेंट से मिलीभगत कर उक्त रास्ते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लेकिन फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ही पूर्ण प्रमाणित होना मानते हुये उक्त आदेश किसी प्रकार की कोई निष्पक्ष जांच करवाये बिना ही पारित किया है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जो अभियान वर्ष 2016 में चलाया गया था उस हेतु परिपत्र दिनांक 10.08.2016 को जारी होकर प्रकाशित किया गया था, लेकिन उक्त परिपत्र में उल्लेखित बिन्दू संख्या 1 से 4 की सम्पूर्ण कार्यवाही माह अगस्त सितम्बर व अक्टूम्बर 2016 तक की पूर्ण की जानी थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश अभियान की समयावधि समाप्त होने के पश्चात पारित किया गया है जबकि कोई भी राजस्व अभियान निश्चित समयावधि के लिए ही चलाया जाता है तथा अभियान समयावधि व्यतीत होने के पश्चात उक्त अभियान के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही अमल में कानूनन नहीं लाई जा सकती है, लेकिन फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अभियान 2016 का हवाला देते हुये उक्त आदेश पारित किया है। मोके पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है ना ही इस संबंध में मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की गई है, ना ही इस संबंध में मौकी की कोई जांच रिर्पोट अपीलार्थीगण एवं अन्य सहखातेदर काश्तकारो की अनुमति व सहमति से तैयार की गई है बल्कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही फौरी कागजी कार्यवाही करते हुये रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप गलत रूप से आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण की उक्त भूमि उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है जिससे यदि अपीलार्थीगण की भूमि को रास्ते की होना उल्लेखित कर दिया तो अपीलार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी भांति संभव नहीं हो पायेगी तथा अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.02.2022 को प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की सर्वप्रथम बार जानकारी हुई है इससे अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है जिससे जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.01.2022 को जो आदेश पारित किया गया है, वह आदेश अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि के संबंध में पारित किया गया है तथा अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के प्रकरण में पक्षकार

संयोजित नहीं है, जबकि अपीलार्थीगण का उक्त प्रकरण एवं भूमि में हित व अधिकार निहित है तथा अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से प्रत्यक्ष रूप से पीडित है जिससे अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है लेकिन अपीलार्थीगण किसी भी प्रकार की कोई कानूनी पेचिदगियों उत्पन्न करना नहीं चाहता है जिससे अपीलार्थीगण की ओर से उक्त अपील के समर्थन में पृथक से धारा 96 सीपीसी का आवेदन भी प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.01.2022 न्यायालय उपखंड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर प्रकरण संख्या 222/2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिनको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। अधीनस्थ पत्रावली पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पटवारी के मौका पर्चा दिनांक 09.12.2021 के अनुसार मौके पर मिट्टी आदि डालकर कच्चा रास्ता बनाया हुआ है। मौका स्थल पर उक्त रास्ते का कदीम से उपयोग हो रहा है। उक्त रास्ता बारहमासी चालू रहता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान बनाम सरकार से संबंधित भूमि नहीं है। यह प्रस्तावित रास्ता कमाण्ड/नॉन कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है। रास्ता कई खसरों में से गुजर रहा है, जिसमें कई खातेदार शामिल है, किन्तु कुछ खातेदारों द्वारा ही अपील की गयी है। रास्ता जिन खसरों में से कायम किया गया है, के कुछ खसरा नम्बरों में डोटेड लाईन भी दर्शायी हुई है। जिससे जाहिर होता है कि रास्ता मौके पर चालू है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला–अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2022 में किसी प्रकार त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2022 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर